न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 178/2024
अनवान : –

1. अनिल कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. जगदीश पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. सुनील कुमार पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
3. रणवीर सिंह पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
4. सतपाल पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
5. हनुमान प्रसाद पुत्र रामचंद्र जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
6. गुलशन पुत्र सीमा पुत्री गिरधारी जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
7. पूजा पुत्री सीमा पुत्री गिरधारी जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
8. अनिता पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
9. ममता पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
10. प्रभुराम पुत्र गिरधारीलाल जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
11. रामचन्द्र पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 22/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 118/94 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.5060 है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के व 1/4 हिस्सा भूमि वादी के दादा मृतक गिरधारी पुत्र बागाराम के नाम दर्ज है व रोही मौजा 7 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2077 के खाता संख्या 25/23 के कुल खसरे 10 की कुल तादादी 2.0240 है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के व 1/4 हिस्सा भूमि वादी के दादा मृतक गिरधारी पुत्र बागाराम के नाम दर्ज है एवं रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 26/26 के कुल खसरे 24 की कुल तादादी 5.5660 है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के व 1/4 हिस्सा भूमि वादी के दादा मृतक गिरधारी पुत्र बागाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी स0 1 व वादी के दादा गिरधारी पुत्र बागाराम के नाम दर्ज है। गिरधारी पुत्र बागाराम का देहान्त हो चुका है तथा गिरधारी की एक पुत्री सीमा पुत्री गिरधारी का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 6 व 7

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:40:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हुए। गिरधारी पुत्र बागाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 11 है जो प्रतिवादी स0 1 एवं गिरधारी पुत्र बागाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी का पिता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पुत्र के पक्ष में परित्याग कर चुका है प्रतिवादीया संख्या 6 व 7 जो कि वादी मृतक बुआ सीमा के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने माता व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीया संख्या 8 जो कि वादी की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है एवं प्रतिवादीया संख्या 9 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पिता व भाई के पक्ष में परित्याग कर दिया है एवं मृतक गिरधारी पुत्र बागाराम के नाम दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 10 11 ने अपना हक हिस्सा अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग उपरोक्त तीनों खातो की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में वादी अकेला काबिज है तथा वादी के दादा मृतक गिरधारी पुत्र बागाराम के नाम दर्ज भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि पर वादी काबिज है व 1/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ब0 हि0 ब0 काबज है एवं शेष 1/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5 काबिज है तथा प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के नाम दर्ज भूमि में वे यथावत काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 11 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 12 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम क[illegible] मृत्यु प्रमाण पत्र गिरधारी व सीमा व सदस्य प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पे[illegible] किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:40:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी स0 1 व वादी के दादा गिरधारी पुत्र बागाराम के नाम दर्ज है वादी के दादा गिरधारी पुत्र बागाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता तो हमे कोई ऐतराज नही है। अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 118/94 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.5060 है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के व 1/4 हिस्सा भूमि वादी के दादा मृतक गिरधारी पुत्र बागाराम के नाम दर्ज है व रोही मौजा 7 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2077 के खाता संख्या 25/23 के कुल खसरे 10 की कुल तादादी 2.0240 है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के व 1/4 हिस्सा भूमि वादी के दादा मृतक गिरधारी पुत्र बागाराम के नाम दर्ज है एवं रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 26/26 के कुल खसरे 24 की कुल तादादी 5.5660 है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के व 1/4 हिस्सा भूमि वादी के दादा मृतक गिरधारी पुत्र बागाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वादी के पिता गिरधारी पुत्र बागाराम का देहान्त हो चुका तथा गिरधारी की एक पुत्री सीमा पुत्री गिरधारी का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 6 व 7 हुए। गिरधारी पुत्र बागाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 11 है जो प्रतिवादी स0 1 एवं गिरधारी पुत्र बागाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 ने उक्त वाद भूमि में अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 द्वारा स्वीकार किया किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्ज सजरा खानदान के अलावा गिरधारी पुत्र बागाराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:40:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 118/94 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.5060 है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 7 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2077 के खाता संख्या 25/23 के कुल खसरे 10 की कुल तादादी 2.0240 है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा व रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 26/26 के कुल खसरे 24 की कुल तादादी 5.5660 है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि उपरोक्त तीनो खातों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 118/94 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.5060 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 7 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2077 के खाता संख्या 25/23 के कुल खसरे 10 की कुल तादादी 2.0240 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 26/26 के कुल खसरे 24 की कुल तादादी 5.5660 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि उपरोक्त तीनों खातों में मृतक गिरधारी पुत्र बागाराम का नाम कलमजन किया जाकर 1/3 हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 22/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:40:50 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 178/2024

अनवान : –

1. अनिल कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. जगदीश पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. सुनील कुमार पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
3. रणवीर सिंह पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
4. सतपाल पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
5. हनुमान प्रसाद पुत्र रामचंद्र जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
6. गुलशन पुत्र सीमा पुत्री गिरधारी जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
7. पूजा पुत्री सीमा पुत्री गिरधारी जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
8. अनिता पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
9. ममता पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
10. प्रभुराम पुत्र गिरधारीलाल जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
11. रामचन्द्र पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 178 सन 2024 निर्णय दिनांक – 22/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 118/94 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.5060 है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 7 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2077 के खाता संख्या 25/23 के कुल खसरे 10 की कुल तादादी 2.0240 है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा व रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 26/26 के कुल खसरे 24 की कुल तादादी 5.5660 है0 भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि उपरोक्त तीनो खातों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 118/94 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.5060 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 7 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2077 के खाता संख्या 25/23 के कुल खसरे 10 की कुल तादादी 2.0240 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 26/26 के कुल खसरे 24 की कुल तादादी 5.5660 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि उपरोक्त तीनों खातों में मृतक गिरधारी पुत्र बागाराम का नाम कलमजन किया जाकर 1/3 हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/3/24 [illegible]क्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:40:50 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर